उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-95 /2018/1367/92-2-2018-47डब्ल्यू/2004
लखनऊ :: दिनांक:: 20 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-वाराणसी द्वारा श्री सत्ये सिंह, कोर्टकेस तृतीय श्रेणी कर्मचारी को अनियम्मित रूप से सेवा लाभ दिये जाने एवं अन्य अनियमितताओं हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5984/62-3-2005-47डब्ल्यू/2004 दिनांक 03-01-2006 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में श्री जे0एन0 तिवारी के पत्र संख्या-15कैम्प/ग्रा0अ0से0/व्य0प0/06-07 दिनांक 06-02-2007 द्वारा अपना स्पष्टीकरण /उत्तर शासन को उपलब्ध कराया गया। शासन द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण एवं श्री तिवारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आरोपो की गम्भीरता के दृष्टिगत श्री तिवारी के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-01-2006 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के स्थान पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-904/62-3-2007-47डब्ल्यू/2004 दिनांक 15-06-2007 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांचके सम्पादनार्थ हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी को निम्नवत आरोपित किया गया है :-

आरोप संख्या-1

अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-वाराणसी के पत्र संख्या-सी-22 दिनांक 02-04-91 द्वारा श्री सत्ये सिंह की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर नियत वेतन मु0 950.00 प्रतिमाह की दर से योगदान की तिथि से 30.06.1991 तक 03 (तीन) माह तक के लिये की गयी थी, तदोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या-232 दिनांक 26-06-1991 द्वारा उपरोक्त नियुक्ति को दिनांक 01-07-1991 से 30-09-1991 तक 03 (तीन) माह तक के लिये बढाया गया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि श्री सिंह की सेवायें, उक्त अवधि के बीच में भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। जो इंगित करता है कि श्री सत्ये सिंह की सेवायें दिनांक 30-09-91 के पूर्व में भी समाप्त हो सकती थी अथवा दिनांक 30-09-91 के बाद स्वत: समाप्त हो जाती। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पत्र संख्या-587 दिनांक 24-07-1991 द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी सोनभद्र एवं जौनपुर को प्रसारित निर्देश, जो श्री सत्ये सिंह को न तो संबोधित है और नही पृष्ठकित है के विरूद्व श्री सत्ये सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालयमें रिट याचिका सं0-29260/91 श्री सत्ये सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-29260/91 श्री सत्ये सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गई। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में निम्न आदेश दिनांक 24-02-97 को पारित किया :-

" In that view of the matter, the application and the writ petition are being disposad of by directing respondent No.3 to consider the case of the petitioner for regularization in the light of the letter daed 11th October, 1994 and the scheme so framed on the basis of such recommendation as may be made by the selection

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

committee provided the petitioned is found eligible for such regularization. which consideration is to be effected on the basis of the record, qualification and other eligible criteria fixed for the said purposes, within a period of four months from the date a certified copy of this order is produced before the concerned respodent."

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का समादर करते हुये आपका दायित्व था कि आप श्री सत्ये सिंह के पत्र दिनांक 11-10-1994 के अनुसार चार माह की समय सीमा के अंतर्गत योजना तैयार कर सलेक्शन कमेटी का गठन कर श्री सिंह से संबंधित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य उपयुक्त माप दण्डों को सलैक्शन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था और सलैक्शन कमेटी के अनुमोदन के उपरान्त ही तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी परन्तु आप द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में श्री सत्ये सिंह के विनियमितीकरण हेतु सलैक्शन कमेटी का गठन नही किया गया और अपनी स्वेच्छाचारिता से श्री सत्ये सिंह को नियमित कर्मचारी के अनुरूप आदेश संख्या-626 दिनांक 01-10-1997 द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-वाराणसी के पत्र सं0-2944 दिनांक 29-08-1997 के संदर्भ में वेतनवृद्धि का लाभ दे दिया गया जबकि आपका दायित्व था कि अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-वाराणसी को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-02-97 के अनुरूप वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये प्रकरण को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में निस्तारित किया जाना चाहिये था। जो आप द्वारा नही किया गया।

इस प्रकार आप मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-02-97 का समादर न करने अपने उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत न कराते हुये स्वेच्छाचारिता/मनमाने ढंग से कार्य करते हुये श्री सत्ये सिंह को नियमित कर्मचारी के रूप में अनियमित रूप से वेतनवृद्धि स्वीकृत कर शासन को मु0 1,26,243.00 रू0 की धन क्षति हुई तथा कालान्तर में भी प्रश्नगत प्रकरण में धन क्षति संभावित है, जिसके लिये आप दोषी पाये जाते है।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद के पत्र दिनांक 08-09-2007 द्वारा श्री तिवारी को आरोप पत्र मय संलग्नक प्रेषित करते हुये बचाव उत्तर मांगा गया। जांच अधिकारी का उक्त पत्र दिनांक 08-09-2007 श्री तिवारी को दिनांक 20-09-07 को तामील किया गया। अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 16-10-2007 द्वारा अपचारी अधिकारी को बचाव उत्तर उपलब्ध कराने हेतु दि0 20-10-2007 तक का पुन: अवसर प्रदान किया गया। अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी के पत्र दिनांक 24-10-07 द्वारा बचाव उत्तर देने हेतु जांच अधिकारी से दि0 07-11-2007 तक का समय मांगा गया। इस प्रकार पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी द्वारा बचाव उत्तर न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-इलाहाबाद पत्र सं0-1468/ग्रा0अ0से0/अनु0जांच-जौनपुर/07-08 दिनांक 30-11-2007 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री सत्ये सिंह को स्वेच्छाचारिता एवं मनमाने ढंग से नियमित कर्मचारी के रूप में अनियमित वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति करने एवं मु0 रू0 1,26,243.00 की शासकीय क्षति तथा कालान्तर में संभावित क्षति के लिये श्री तिवारी को उत्तरदायी बताया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में स्थापित आरोप के संबंध में शासन के पत्र सं0-6025/62-2007-47डब्ल्यू0/04 दिनांक 23-01-2008 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी का अभ्यावेदन मांगा जो उनके पत्र सं0-4249/ग्रा0 अ0से0/प्र0पै0/07-08 दिनांक 26-03-2008 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31-01-2009 को सेवानिवृत्त हो जाने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फलस्वरूप उनके विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1642/92-12-47डब्ल्यू/04 दि0 05-06-2012 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया। श्री तिवारी द्वारा अपने अभ्यावेदन दि0 26-03-2008 में मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

(क) रिट याचिका संख्या-26920/91 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 24-02-1997 की जानकारी एवं प्राप्ति होने पर उन्होने अपने कार्यालय के पत्रांक-122 दि0 05-05-2007 द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0से0, परि0-वाराणसी से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन हेतु विनियिमतीकरण की कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश मांगा गया।

(ख) अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0से0, परि0-वाराणसी के पत्रांक-944 दि0 20-05-1997 द्वारा अवगत कराया गया कि कनिष्ठ सहायक के नियुक्ति अधिकारी अधिशासी अभियंता है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियंता को आदेशित किया गया। अतएवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन की दिशा में किस स्तर से पूर्व निर्गत आदेशों के क्रम में कार्यवाही करें जिससे किसी प्रतिकूल परिस्थितिया का सामना न करना पडे।

(ग) मा0 उच्च न्यायालय के पूर्व पारित स्थगन आदेश के अनुपालन हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्रांक-2994 दिनांक 11-10-1994 द्वारा उन्हें एवं अधीक्षण अभियंता को विनियमित करने का निर्देश दिया गया था।

(घ) मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24-02-1997 के अनुरूप याची के विनियमितीकरण की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्रांक-2994 दि0 11-10-1994 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परि0-वाराणसी से उनके कार्यालय पत्रांक 435 दिनांक 12-08-97 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये याची को विनियिमितकरण हेतु आवश्यक पद आवंटन करने एवं चयन समिति गठन करने का अनुरोध अधीक्षण अभियंता, परि0-वाराणसी से किया गया था परन्तु अधीक्षण अभियंता से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ। अधीक्षण अभियंता से व्यक्तिगत वार्ता भी की गयी फिर भी अधीक्षण अभियंता से कनिष्ठ सहायक पद का आवंटन प्राप्त नही हुआ और न ही अधीक्षण अभियंता द्वारा चयन समिति गठित की गयी।

(ड) अन्त में विनियमितीकरण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की समयबद्धता एवं अधीक्षण अभियंता के निर्देशो के अनुपालन में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न हो एवं श्री सत्ये सिंह के समस्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण का आदेश अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त ही श्री सिंह के प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुये आदेश सं0-626 दि0 01-10-97 द्वारा श्री सत्ये सिंह को वार्षिक वेतनवृद्धि दी गयी थी जिसकी प्रति अधीक्षण अभियंता को उनके निर्देशों के क्रम में प्रेषित की गयी थी। इस प्रकार उनके द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीक़त करने की कार्यवाही मा0उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार किया गया था।

(च) उनके द्वारा वेतनवृद्धि स्वीकृत करने संबंधित आदेश सं0-626 दिनांक 01-10-1997 को तत्का0 अधिकारियों द्वारा निरस्त किया गया इसका प्रतिकूल प्रभाव पडा। पुन: मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) का अनुमोदन प्राप्त कर वर्तमान अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0से0, प्रखण्ड-जौनपुर द्वारा वेतन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वृद्धि स्वीकृत करते हुये वेतन का निर्धारण उनके कार्यालय पत्रांक-922 दिनांक 24-02-2006 द्वारा निर्गत किया गया।

अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी के अभ्यावेदन दि0 26-03-2008 में उल्लिखित तथ्यो के संबंध में शासन के पत्र सं0-1470/62-3-08-47डब्ल्यू0/04 दिनांक 08-09-2008 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का अभिमत मांगा गया, जिसके क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र सं0-जी-28/ग्रा0अ0से0/स्था0-1/454-अनु0कार्य0/09-10 दिनांक 08-06-2009 द्वारा अपना अभिमत उपलब्ध कराया गया, जिसमें निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा उल्लिखित किया गया कि श्री तिवारी द्वारा बगैर सक्षम स्तर (शासन) की अनुमति के मा0 न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या करते हुये श्री सत्ये सिंह को वेतनवृद्धियां स्वीकृत करने एवं सेवा में योजित करने के लिये श्री तिवारी के संबंध में जांच अधिकारी का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। जहां तक श्री तिवारी के अभ्यावेदन दि0 26-03-2008 का प्रश्न है उसमें भी श्री तिवारी द्वारा कोई ऐसा तथ्य उल्लिखित नही किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानूकूल थी।

3- प्रकरण में अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी के विरूद्व निर्गत आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0 सेवा, प्रखण्ड-वाराणसी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 24-02-1997 के अनुरूप समिति गठित न कर श्री सत्येन्द्र सिंह को स्वेच्छाचारिता/मनमाने ढंग से अनियमित रूप से वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 1,26,243.00 हेतु उत्तरदायी जाने पर शासन द्वारा उक्त धनराशि की वसूली श्री तिवारी के सेवानिवृत्तिक देयको से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि के वसूल किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित किया गया। उक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र सं0-569/92-2-17-47डब्ल्यू/ 2004 दिनांक 15-05-2017 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी। लोक सेवा आयोग के पत्र सं0-65/1/एडीसी/एस-12/2017-18 दिनांक 10-07-2017 द्वारा निम्नवत संवीक्षण व्यक्त किया गया :-

'' क्या प्रकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा कारित की गयी धनराशि की वसूली किये जाने से दण्ड की प्रतिपूर्ति एवं मंशा पूरी हो पा रही है यदि नही तो अपचारी अधिकारी द्वारा शासन को पहुंचायी गयी शासकीय क्षति की धनराशि ब्याज सहित (शासकीय नियमानुसार निर्धारित ब्याज दर पर) वसूल किये जाने अथवा शासकीय क्षति की धनराशि की वसूली के साथ-साथ उनकी पेंशन से एक निश्चित प्रतिशत की कटौती स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किये जाने के पुनर्विचारित प्रस्तावित दण्ड पर विचार करते हुये प्रकरण आयोग के अभिमत हेतु प्रेषित किया जाय।'

4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र दिनांक 10-07-2017 में किये गये उक्त संवीक्षण के क्रम में ब्याज दर के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त शासन के पत्र संख्या-643/92-2-18-47डब्ल्यू/2004 दिनांक 15-03-2018 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति पर ब्याज दर के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने अथवा लोक सेवा आयोग के पूर्व पत्र दिनांक 10-07-2017 में दिये गये अभिमत/ संवीक्षण पर पुर्नविचार किये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में लोक सेवा आयोग के पत्र सं0-15/1/एडीसी/एस-12/17-18 दिनांक 25-05-2018 में निम्नवत संवीक्षण किया गया :-

'' अपचारी अधिकारी के विरूद्व सिद्ध पाया गया आरोप प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने, वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता से संबंधित है। चूंकि प्रकरण में शासन को शासकीय क्षति लगभग 14-15 वर्ष के पूर्व से ही पहुंचायी गयी है यदि वर्तमान में बढते हुये मूल्य सूचकांक के अनुसार उक्त शासकीय क्षति की वसूली अपचारी अधिकारी से की जाती है तो वर्तमान में उसका मूल्य लगभग एक तिहाई ही आता है। अत: अपचारी अधिकारी द्वारा कारित की गई शासकीय क्षति की धनराशि की केवल वसूली किये जाने के दण्ड से, दण्ड की पूर्ति/मंशा पूरी न हो पाने एवं सिद्ध पाये गये आरोप की प्रकृति के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड अनानुपातिक है। अत: शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड शासकीय वित्तीय क्षति की धनराशि रू0 1,26,243.00 की वसूली श्री तिवारी के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली किये जाने में आंशिक संशोधन करते हुये शासकीय वित्तीय क्षति की धनराशि रू0 1,26,243.00 की वसूली श्री तिवारी के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली किये जाने के साथ-साथ उनकी पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती 02 वर्ष तक किये जाने का दण्ड दिया जाना उचित पाया है। फिर भी यदि शासन को आयोग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रदान किये गये संवीक्षण/अभिमत पर पुर्नविचार किये जाने की आवश्यकता नही समझी जाती है तो मा0 आयोग को, शासन द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व पूर्व में प्रस्तावित/विनिश्चित दण्ड पर कोई आपत्ति नही होगी।''

4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के क्रम में अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता (सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-06-2007 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत दण्ड के साथ समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

''श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा श्री सत्ये सिंह, कोर्टकेस तृतीय श्रेणी कर्मचारी को अनियम्मि रूप से सेवा लाभ दिये जाने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1,26,243.00 की वसूली श्री तिवारी के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली किये जोने के साथ-साथ उनकी पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती 02 वर्ष तक की जाय।''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-95/2018/1367 (1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-15/1/एडीसी/17-18 दिनांक 25-05-2018 के क्रम में।

3- श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड- वाराणसी सम्प्रति से0नि0 द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।